

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

सु नं 46/16 तारीख 20 जु 2016

उगवान - भागमल बनाम हेमचंद्र वीर
प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुनील कुमार जिन्दल A.W. ने
प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेधाज्ञा पेश किया। समाकृती
का अपलो काम किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर
कर अस्थायी गणे को जरिये नोटिस से तलब कर
10.8.16 को पेश हो।

1949-53
20/7/16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

10.8.16 प्रार्थी वकील उप. अर्थात् नं. 1 व 2 की ओर से
श्री मनोज कुमार शर्मा A.W. ने वकालतनामा पेश कर
मकल प्राप्त नहीं होने तथा अर्थात् नं. 1 हेमचंद्र का
शुद्ध नाम हेमचंद्र होने का एतराज दर्ज कराया।
अर्थात् नं. 3, 4, 5 के नोटिस अदम लाठील प्राप्त हुए
वादी वकील पुनः तलबना पेश कर साथ ही वादपत्र
में शुद्ध नाम कठिबे लया उतिवादी वकील को वादपत्र की
मकल देवे / दिनांक 14.9.16 को पेश हो।

3/10 प्रार्थी वकील उप. अर्थात् नं. 1 व 2 का
12.10.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
17/10/16	एनपी वकील उपस्थित / गतानुसार दिनांक 16.10.16 को पेश हो।
16/11/16	एनपी वकील उपस्थित / वकील पेश करने समाप्त याद / आईडी दिनांक 20.12.16 को पेश हो।
8.12.16	वकुलाय उपज वाले तलवी एवं जबब दिनांक 17.11 को पेश हो।
17.1.17	वकुलाय उपस्थित / वाले तलवी पुनः जाया दिनांक 22.2.17 को पेश हो।
22.2.17	वकुलाय उपस्थित / गतानुसार दिनांक 27.3.17 को पेश हो।
27.3.17	वकुलाय उप. / प्रार्थी वकील को तलवावा व प्रार्थी वकील को जबब पेश करने की दिवायत की / दिनांक 19.4.17 को पेश हो।
19.4.17	पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी वकील उप. नहीं / प्रार्थी वकील उप. / कर्ष बाट आवाज दिलाई गई / प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी से कोई भी उपस्थित नहीं ही अतः पह प्रार्थी पत्र आस्था निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम चैरबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर गंगा से कर होकर दावा पत्रावली के साथ सिलज रहे।

उप जिला कलेक्टर
टोडा